## MAINS MATRIX

**TABLE OF CONTENT**


1. **"सहमति ही सब कुछ है"**
2. **"ट्रंप ने अमेरिका के परमाणु हथियार परीक्षण पर बम गिराया"**
3. **"चीनी चाल"**
4. **"शांति और सतत सुरक्षा बोर्ड की आवश्यकता का मामला"**


## "सहमति ही सब कुछ है"

**प्रस्तावना**

सहमति (Consent) यौन स्वायत्तता (sexual autonomy) और यौन हिंसा के विरुद्ध संघर्ष की परिभाषा के केंद्र में है। सहमति को एक मूलभूत **कानूनी और नैतिक मानदंड** के रूप में स्वीकार करना, यौन अपराधों के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में एक **परिवर्तनकारी बदलाव** को दर्शाता है। हाल ही में फ्रांस में हुए कानूनी सुधार इस विकास का उदाहरण हैं।

---

**1. मूल सिद्धांत: सहमति का केंद्रीय स्थान**

लेख इस बात पर बल देता है कि **सहमति ही वह निर्णायक तत्व है** जो वैध यौन संबंध और यौन हिंसा के बीच की रेखा खींचता है।
फ्रांस का नया कानून यह निर्धारित करता है कि **कोई भी असहमति पर आधारित यौन कृत्य बलात्कार माना जाएगा**, चाहे शारीरिक बल का प्रयोग हुआ हो या नहीं — यह कानून और नैतिकता को एक साथ लाने वाला एक बड़ा कदम है।

---

**2. फ्रांस में परिवर्तन का उत्प्रेरक (Catalyst for Change)**

- **प्रेरणा स्रोत:** *गिज़ेल पेलिकोट (Gisèle Pelicot)* का मामला, जिसमें उन्होंने अपने पति पर उन्हें नशीला पदार्थ देने और कई पुरुषों द्वारा बलात्कार कराने का आरोप लगाया।
- **परिणाम:** इस मामले में **51 दोषसिद्धियाँ** हुईं और यह फ्रांसीसी न्याय व्यवस्था में एक *मील का पत्थर* बन गया, जिसने यौन अपराधों की परिभाषा में **सहमति को केंद्रीय स्तंभ** के रूप में स्थापित किया।

---

**3. पीड़ितों के सामने चुनौतियाँ**

उन्नत कानूनों के बावजूद, पीड़ितों के सामने गहरे सामाजिक और संस्थागत अवरोध बने हुए हैं —

- **सामाजिक कलंक और निर्णय (Stigma & Judgment):** पीड़ितों पर

ही दोष मढ़ा जाता है, जैसा कि भारत में सार्वजनिक चर्चाओं में भी देखा गया है।

- **आर्थिक कमजोरी:** कई महिलाएँ न्याय पाने के लिए आवश्यक संसाधनों और सामाजिक समर्थन से वंचित रहती हैं।
- **कम दोषसिद्धि दर:** भारत में बलात्कार के मामलों में **2018–2022 के बीच केवल 27–28% दोषसिद्धि दर** रही, जो प्रणालीगत अक्षमता को दर्शाती है।

---

**4. आगे की राह: कानूनी सुधार से परे**

सिर्फ कानून पर्याप्त नहीं हैं; न्याय के लिए **बहुआयामी दृष्टिकोण** आवश्यक है —

- **सामुदायिक सोच में बदलाव:** बचपन से ही शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से **पितृसत्तात्मक मान्यताओं** को तोड़ना और **लैंगिक समानता** की भावना को बढ़ावा देना।
- **कानून प्रवर्तन में संवेदनशीलता:** पुलिस और न्यायपालिका को **सहानुभूति और सहमति के सिद्धांत** के अनुरूप प्रशिक्षित करना।
- **पीड़ितों को सशक्त बनाना:** पुनर्वास, परामर्श और संस्थागत समर्थन के माध्यम से पीड़ितों की **मानसिक व सामाजिक पुनर्स्थापना** को सुनिश्चित करना।

---

**5. सरकारों के लिए आह्वान (Call to Action)**

- सरकारों को यौन हिंसा के प्रति **शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance)** का रुख अपनाना चाहिए।
- **सहानुभूतिपूर्ण शासन (Empathy-based governance)** आवश्यक है — जिससे हर चरण पर पीड़ितों को सहयोग और सम्मान मिले।
- यदि ऐसा नहीं किया गया, तो यह उस परिवर्तनकारी आंदोलन को रोक देगा जिसे लेख में **"महिलाओं का अरब स्प्रिंग"** कहा गया है — जो लैंगिक न्याय और स्वायत्तता की वैश्विक पुकार है।

---

**निष्कर्ष**

**सहमति को यौन अधिकारों के केंद्र में रखना** केवल कानूनी सुधार नहीं बल्कि एक नैतिक क्रांति है। किंतु वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब समाज स्वयं बदल जाए — जहाँ न्याय केवल अदालत का निर्णय नहीं, बल्कि हर पीड़िता के जीवन की सच्चाई बन सके।

**HOW TO USE IT**

**सहमति का सिद्धांत यौन स्वायत्तता और लैंगिक न्याय का अटल आधारस्तंभ है।**

फ्रांस जैसे देशों में प्रगतिशील कानूनी सुधार निश्चित रूप से आवश्यक हैं, लेकिन सच्चा न्याय तभी संभव है जब समाज पितृसत्तात्मक मानसिकताओं को तोड़े, संस्थागत सुधार करे और पीड़ितों को सशक्त बनाए — केवल विधायी बदलावों से आगे बढ़कर *संवेदनशील और सहानुभूतिपूर्ण शासन* की ओर कदम बढ़ाए।

---

**प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper I (भारतीय समाज)**

**1. महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन:**

**कैसे उपयोग करें:** पूरा लेख महिलाओं की *एजेंसी, स्वायत्तता* और *न्याय के लिए उनके संघर्ष* पर केंद्रित है।

**मुख्य बिंदु:**

- **यौन स्वायत्तता:** सहमति को एक महिला की शारीरिक स्वायत्तता और अपने शरीर के बारे में निर्णय लेने के अधिकार की मौलिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करें।
- **सामाजिक कलंक:** सामाजिक कलंक और *पीड़िता को दोष देने की प्रवृत्ति* ऐसे बड़े सामाजिक अवरोध हैं जो पीड़ितों को अपराध की रिपोर्ट करने और न्याय पाने से रोकते हैं, जिससे *मौन की संस्कृति* बनी रहती है।
- **महिला आंदोलन:** "महिलाओं का अरब स्प्रिंग" का संदर्भ एक शक्तिशाली सामाजिक आंदोलन को दर्शाता है, जो लैंगिक न्याय की मांग करता है — जैसे इतिहास में अन्य सामाजिक सुधार आंदोलनों ने किया था।

---

**2. सामाजिक सशक्तिकरण:**

**कैसे उपयोग करें:** सशक्तिकरण तब तक अर्थहीन है जब तक महिला को अपने शरीर और जीवन पर नियंत्रण नहीं है।

**मुख्य बिंदु:**

- सच्चा सामाजिक सशक्तिकरण तभी संभव है जब महिलाओं को *यौन आत्मनिर्णय* का अधिकार मिले — जो सहमति के सिद्धांत द्वारा संरक्षित है।

---

**प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper II (शासन, नीति)**

**1. शासन और विकास के लिए सरकारी नीतियाँ एवं हस्तक्षेप:**

**कैसे उपयोग करें:** यौन हिंसा पर सरकार की प्रतिक्रिया *शासन की गुणवत्ता* का महत्वपूर्ण संकेतक है।

**मुख्य बिंदु:**

- **ज़ीरो टॉलरेंस नीति:** इसका अर्थ है कि सरकार को कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, सहायता तंत्रों (जैसे *वन-स्टॉप सेंटर, निर्भया फंड*) के लिए पर्याप्त वित्त पोषण, और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करना होगा।
- **सहानुभूति-आधारित शासन:** यह प्रमुख सीख है — राज्य की संस्थाएँ (पुलिस, न्यायपालिका, स्वास्थ्य प्रणाली) पीड़ितों के साथ *सम्मान, संवेदनशीलता और गरिमा* से पेश आएँ, ताकि उन्हें उसी तंत्र से पुनः आघात न मिले जो उनकी रक्षा के लिए बना है।

---

**2. न्यायपालिका की भूमिका:**

**कैसे उपयोग करें:** न्यायपालिका अधिकारों की *अंतिम व्याख्याकार और संरक्षक* है।

**मुख्य बिंदु:**

- लगभग **27–28% की कम सजा दर** न्यायिक प्रणाली की संरचनात्मक खामियों को दर्शाती है — जैसे देरी, कमजोर अभियोजन, और पीड़ितों के लिए कानूनी प्रक्रिया की कठिनाइयाँ।
- अदालतों ने समय के साथ सहमति के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए प्रगतिशील व्याख्याएँ दी हैं, लेकिन *कानूनी सिद्धांत और व्यवहारिक न्याय* के बीच की खाई अभी भी बड़ी है।

---

**प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper IV (नीति, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति)**

**1. नैतिकता और मानव संबंध:**

**कैसे उपयोग करें:** सहमति मूलतः एक *नैतिक अवधारणा* है।

**मुख्य बिंदु:**

- लेख इस *नैतिक विकास* को रेखांकित करता है जिसमें समाज ने उस मानसिकता से परिवर्तन किया है जो कभी यौन हिंसा को माफ कर देती थी, से उस दिशा में जहाँ *व्यक्ति की स्वायत्तता के प्रति स्पष्ट सम्मान* सर्वोपरि हो गया है।
- **नैतिक जवाबदेही:** फ्रांसीसी कानून यह स्थापित करता है कि सहमति का उल्लंघन एक *नैतिक अपराध* है, भले ही उसमें शारीरिक बल का प्रयोग न हुआ हो। यह उस नैतिक सिद्धांत के अनुरूप है कि किसी कृत्य की *गलतता* उसके *इरादे और पीड़ित पर प्रभाव* से निर्धारित होती है।

---

**2. अभिवृत्ति (Attitude):**

**कैसे उपयोग करें:** "समुदाय की बदलती मानसिकता" सही दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता को इंगित करती है।

**मुख्य बिंदु:**

- एक *न्यायपूर्ण और नैतिक समाज* के लिए समानता, सम्मान और सहानुभूति की अभिवृत्ति आवश्यक है।
- यौन हिंसा से लड़ने के लिए बचपन से ही *अधिकारभाव, स्त्रीद्वेष और पीड़िता-दोषारोपण* जैसी मानसिकताओं को मिटाना होगा।

---

**3. भावनात्मक बुद्धिमत्ता (Emotional Intelligence):**

**कैसे उपयोग करें:** कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका की भूमिका में उच्च *भावनात्मक बुद्धिमत्ता* आवश्यक है।

**मुख्य बिंदु:**

- किसी पुलिस अधिकारी या न्यायाधीश के लिए यौन अपराध मामले को संभालना *सहानुभूति, संवेदनशीलता,* और *विश्वास दिलाने की क्षमता* की मांग करता है ताकि पीड़िता सुरक्षित महसूस करे।
- यदि इन अधिकारियों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता की कमी है, तो यह पीड़िता के लिए *द्वितीयक आघात (secondary trauma)* का कारण बन सकता है।

## ट्रंप ने अमेरिका के परमाणु हथियार परीक्षण पर 'बम गिराया'

---

**प्रसंग और पृष्ठभूमि**

**घटना:**

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि *संयुक्त राज्य अमेरिका 33 वर्ष बाद परमाणु हथियार परीक्षण फिर से शुरू करेगा।*

**समय:**

यह घोषणा उस समय आई जब रूस ने एक *परमाणु-सक्षम क्रूज़ मिसाइल* का परीक्षण किया और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तथा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच बैठक हुई — जिससे स्पष्ट *भूराजनीतिक संकेत (geopolitical signaling)* झलकता है।

**प्रतीकात्मक अर्थ:**

घोषणा तब की गई जब "डूम्सडे क्लॉक" *आधी रात से 89 सेकंड पहले* थी — जो विश्व में बढ़ते परमाणु तनाव का प्रतीक है।

---

**मुख्य मुद्दे और विश्लेषण**

**1. शक्ति समीकरणों पर प्रभाव**

- चीन और रूस की ओर से *प्रतिक्रियात्मक कदम* उठाए जाने की

संभावना है, जिससे *वैश्विक सामरिक अस्थिरता* और बढ़ सकती है।

- यह कदम *नए परमाणु हथियारों की दौड़* को जन्म दे सकता है, जिससे दशकों से चली आ रही *हथियार नियंत्रण की कोशिशें* (जैसे START, CTBT) कमजोर पड़ेंगी।
- इससे अमेरिका के *मित्र देशों के साथ संबंध* जटिल हो सकते हैं और *निरस्त्रीकरण कूटनीति में नैतिक अधिकारिता* घट सकती है।

---

**2. शस्त्र नियंत्रण व्यवस्था के लिए खतरा**

- यह घोषणा *व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)* और *परमाणु अप्रसार संधि (NPT)* की भावना को कमजोर करती है।
- ये दोनों संधियाँ *शीत युद्ध के बाद के निरस्त्रीकरण प्रयासों की नींव* हैं।
- अमेरिका का पुनः परीक्षण शुरू करना इन समझौतों की *भावना (spirit)* का उल्लंघन है, जिससे *वैश्विक विश्वास* डगमगाता है।

---

**3. प्रतिक्रियाएँ और वैश्विक प्रभाव**

- अन्य परमाणु शक्तियाँ (चीन, रूस, उत्तर कोरिया) भी इस कदम का हवाला देकर अपने परीक्षणों को *वैध ठहराने* की कोशिश कर सकती हैं।
- यह निर्णय *परमाणु प्रतिरोधक (deterrence)* की मौजूदा रूपरेखा को अस्थिर कर सकता है और देशों को अपने *शस्त्र भंडार बढ़ाने* के लिए प्रेरित कर सकता है।

---

**4. पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी प्रभाव**

- परमाणु परीक्षणों के फिर से शुरू होने से *पर्यावरणीय खतरे* (जैसे रेडियोधर्मी प्रदूषण) बढ़ सकते हैं।
- इससे *वैश्विक सुरक्षा मानसिकता पर नकारात्मक प्रभाव* पड़ सकता है।
- छोटे देशों और अमेरिका के सहयोगी राष्ट्रों को अपनी *परमाणु नीतियों* पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।

---

**5. वैश्विक निरस्त्रीकरण प्रयासों को कमजोर करना**

- पिछले पाँच दशकों से *परमाणु परीक्षण पर रोक (moratorium)* ने राष्ट्रों के बीच *विश्वास निर्माण* का कार्य किया है।
- ट्रंप की नीति इस *"ग्रैंड बार्गेन"* (NPT के मूल समझौते) को कमजोर करती है — जिसमें *परमाणु शक्तियाँ धीरे-धीरे*

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

*निरस्त्रीकरण करती हैं* और *गैर-परमाणु राष्ट्र* हथियार नहीं बनाते।

- इससे निरस्त्रीकरण की *गति और भरोसा* दोनों कमजोर होंगे और देश फिर से *हथियारबंदी (rearmament)* की ओर जा सकते हैं।

---

**6. नए वैश्विक संवाद की आवश्यकता**

- लेखिका ने *वैश्विक स्तर पर नए संवाद* की अपील की है ताकि *शस्त्र नियंत्रण और अप्रसार* में विश्वास बहाल हो सके।
- चेतावनी दी गई है कि *परमाणु धमकी की भाषा* फिर से अंतरराष्ट्रीय विमर्श में लौट आई है।
- समाधान के रूप में सुझाव दिया गया है कि *पारदर्शी सत्यापन प्रणाली, नए संधि ढाँचे*, और *बहुपक्षीय विश्वास निर्माण* के ज़रिए *निरस्त्रीकरण कूटनीति* को पुनर्जीवित किया जाए।

---

**7. ऐतिहासिक प्रतिबिंब**

- द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की पीढ़ियाँ *हिरोशिमा और नागासाकी* की तबाही को याद करती हैं, परंतु *वर्तमान विश्व नेता* उस भयावहता से दूर होते जा रहे हैं।
- यह *नैतिक विस्मृति (moral amnesia)* खतरनाक है — क्योंकि इससे परमाणु नीति-निर्माण में लापरवाही बढ़ती है।

---

**निष्कर्ष**

ट्रंप का यह निर्णय *हथियार नियंत्रण के दशकों पुराने प्रयासों से खतरनाक पीछे हटने* का प्रतीक है।

यह कदम:

- **परमाणु हथियारों की नई दौड़** को फिर भड़का सकता है,
- **वैश्विक सुरक्षा ढाँचे को कमजोर** कर सकता है, और
- **विश्व शक्तियों के बीच विश्वास को क्षीण** कर सकता है।

लेखिका ज़ोर देती हैं कि इस संकट से निपटने के लिए *जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व, नवीन कूटनीतिक प्रयास*, और *अप्रसार के सिद्धांतों की पुनर्पुष्टि* अत्यंत आवश्यक है।

**HOW TO USE IT**

**अमेरिका द्वारा परमाणु परीक्षणों को पुनः शुरू करने की संभावना**

वैश्विक भू-राजनीति में एक **पिछड़ापन और खतरनाक मोड़** का संकेत है। यह दशकों से बड़े परिश्रम से बनाई गई **हथियार नियंत्रण संरचना (arms control architecture)** को कमजोर

करने की धमकी देता है। यह कदम **महाशक्तियों के बीच परमाणु प्रतिस्पर्धा की वापसी**, **वैश्विक अप्रसार मानदंडों का क्षरण**, और पहले से ही अस्थिर विश्व में एक **नई, अनिश्चित परमाणु दौड़** को जन्म दे सकता है।

---

**प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)**

**1. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह तथा भारत के हितों से जुड़ी संधियाँ**

**कैसे उपयोग करें:** यह इस लेख का मुख्य अनुप्रयोग है — यह घटना *वैश्विक संधियों और सामरिक स्थिरता की जड़ों पर प्रहार* करती है।

**मुख्य बिंदु:**

- **CTBT और NPT का क्षरण:**
  अमेरिका का यह कदम *व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (CTBT)* और *परमाणु अप्रसार संधि (NPT)* दोनों को मूल रूप से कमजोर करता है।
  भले ही CTBT औपचारिक रूप से लागू नहीं हुआ हो, लेकिन 1992 से अमेरिका द्वारा परीक्षण रोकने की *स्वैच्छिक नीति (moratorium)* ने इसे *नैतिक और राजनीतिक महत्व* दिया था।
  अब परीक्षणों का पुनः आरंभ इस *वैश्विक मानक* को तोड़ देता है।
- **NPT का "ग्रैंड बार्गेन":**
  NPT का सिद्धांत एक *समझौते (bargain)* पर आधारित है — गैर-परमाणु देश हथियार नहीं बनाएँगे, जबकि परमाणु शक्तियाँ (P5) *ईमानदारी से निरस्त्रीकरण की दिशा में कार्य करेंगी।*
  परीक्षणों को पुनः शुरू करके अमेरिका जैसा एक *P5 सदस्य* इस वादे से मुकर रहा है, जिससे *पूरे अप्रसार ढाँचे की वैधता* कमजोर होती है और अन्य देशों को अपने *स्वयं के परमाणु कार्यक्रमों* को आगे बढ़ाने का *औचित्य* मिल जाता है।
- **सामरिक स्थिरता पर प्रभाव:**
  यह कदम रूस और चीन को *प्रतिक्रियात्मक परीक्षण* करने के लिए प्रेरित कर सकता है, जिससे एक *गुणात्मक परमाणु हथियारों की दौड़* शुरू होगी।
  इससे सभी देशों — विशेषकर भारत सहित — के लिए *सुरक्षा वातावरण अधिक जटिल और खतरनाक* बन जाएगा।

**संभावित प्रश्न:**

*"वैश्विक परमाणु अप्रसार व्यवस्था अपनी विश्वसनीयता के संकट से गुजर रही है। हाल की घटनाओं के संदर्भ में चर्चा करें।"*

---

**प्राथमिक प्रासंगिकता: GS Paper III (आंतरिक और बाहरी सुरक्षा)**

**1. सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ और उनका प्रबंधन**

**कैसे उपयोग करें:** यह प्रत्यक्ष सीमा मुद्दा नहीं है, लेकिन यह भारत के *सामरिक सुरक्षा वातावरण* को मूल रूप से प्रभावित करता है।

**मुख्य बिंदु:**

- **भारत की रणनीतिक गणना पर प्रभाव:** अमेरिका, रूस और चीन के बीच *नए परमाणु हथियार प्रतिस्पर्धा* की शुरुआत भारत की सुरक्षा पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालेगी।
  इससे भारत के पड़ोसी देशों (विशेषकर चीन) द्वारा *परमाणु तकनीक में प्रगति* हो सकती है, जिससे भारत को अपनी *न्यूनतम विश्वसनीय प्रतिरोध नीति (Minimum Credible Deterrence)* पर पुनर्विचार करना पड़ सकता है।
  यह *क्षेत्रीय हथियार संतुलन (regional arms dynamics)* को अस्थिर कर सकता है।
- **भारत की कूटनीतिक संतुलन नीति में जटिलता:**
  भारत अमेरिका, रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ *रणनीतिक साझेदारी* बनाए रखता है।
  इन महाशक्तियों के बीच *नए परमाणु प्रतिद्वंद्विता चरण* की शुरुआत भारत के लिए *कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना कठिन* बना देगी और उसकी *रणनीतिक स्वायत्तता (strategic autonomy)* पर दबाव डालेगी।

---

**2. आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ:**

**कैसे उपयोग करें:** वैश्विक मानदंडों का पतन *देश की आंतरिक सुरक्षा* को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सकता है।

**मुख्य बिंदु:**

- *अप्रसार व्यवस्था का कमजोर होना* लंबे समय में *परमाणु आतंकवाद (nuclear terrorism)* के खतरे को बढ़ा सकता है।
- इससे *परमाणु तकनीक के गैर-राज्य तत्वों (non-state actors)* के हाथों में पहुँचने की आशंका बढ़ जाती है, क्योंकि *परमाणु हथियारों के उपयोग का वैश्विक निषेध (taboo)* कमजोर हो जाता है।

---

**द्वितीयक प्रासंगिकता: GS Paper IV (नीति एवं अंतरराष्ट्रीय नैतिकता)**

**अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता:**

**कैसे उपयोग करें:** इस निर्णय की *नैतिक आलोचना* की जा सकती है।

**मुख्य बिंदु:**

- यह निर्णय *जिम्मेदार वैश्विक नेतृत्व की कमी* और *परमाणु परीक्षणों के मानवीय व पर्यावरणीय विनाशकारी परिणामों की उपेक्षा* को दर्शाता है।
- यह *"किसी को हानि न पहुँचाने" (Do No Harm)* के नैतिक सिद्धांत की वैश्विक स्तर पर विफलता को प्रतिबिंबित करता है।
- इस प्रकार, यह कदम अंतरराष्ट्रीय नैतिकता की उस भावना के विपरीत है जो *साझा मानवीय सुरक्षा* और *वैश्विक उत्तरदायित्व* पर आधारित है।

## चीनी चाल (Chinese Check)

**उपशीर्षक:**

**चीन विश्व का सबसे प्रमुख विनिर्माण केंद्र (Factory) बन चुका है**

---

**प्रसंग और पृष्ठभूमि**

**घटना:**

यह लेख *अमेरिका–चीन व्यापार तनाव में आई नरमी* पर केंद्रित है, जो *अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप* और *चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग* की *दक्षिण कोरिया के बुसान में हुई बैठक* के बाद उत्पन्न *टैरिफ युद्ध में अस्थायी शांति (détente)* से संबंधित है।

**मुख्य थीम:**

भले ही यह एक अस्थायी युद्धविराम है, लेकिन लेख तर्क देता है कि *वैश्विक आर्थिक शक्ति का संरचनात्मक संतुलन अब चीन के पक्ष में झुक गया है।*

यह बदलाव *विश्व व्यापार में औद्योगिक और रणनीतिक पुनर्संरेखण (realignment)* को दर्शाता है।

---

**1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

**1980 के दशक के आर्थिक सुधार:**

चीन ने *विश्व बैंक/आईएमएफ के नव-उदारवादी सुधारों* में आरंभिक रूप से अनिच्छा से भाग लिया था।

धीरे-धीरे वह *कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था* से *वैश्विक विनिर्माण शक्ति (manufacturing powerhouse)* में बदल गया।

**क्रमिक परिवर्तन:**

मज़दूरी में अंतर (labor arbitrage), आपूर्ति श्रृंखला (supply-chain) एकीकरण और *उत्पादन की गहराई* के माध्यम से चीन ने स्वयं को *वैश्विक उत्पादन प्रणाली का अपरिहार्य केंद्र (indispensable node)* बना लिया।

---

**2. अमेरिका–चीन आर्थिक शक्ति संतुलन में बदलाव**

**विडंबना:**

एक समय में अमेरिका *वैश्विक व्यापार और*

*प्रौद्योगिकी चक्रों* पर हावी था, परंतु अब उसके *चार-वर्षीय चुनाव चक्र* दीर्घकालिक औद्योगिक नीति बनाने में बाधक हैं।
इसके विपरीत, चीन की *दीर्घकालिक रणनीतिक योजना (decades-long strategy)* उसे अधिक सक्षम बनाती है।

**चीन को दी गई रियायतें (U.S. Concessions):**

- कुछ *टैरिफ (शुल्क)* में कमी की गई।
- चीनी कंपनियों की *"नो-ट्रेड लिस्ट"* में नए नाम जोड़ना रोका गया।
- *फेंटानिल आपूर्ति श्रृंखला* से संबंधित कुछ प्रतिबंध हटाए गए।
- चीन ने बदले में *अमेरिकी कृषि उत्पादों (जैसे सोयाबीन)* की खरीद फिर से शुरू करने पर सहमति दी।
- *महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात प्रतिबंधों* में ढील दी।

---

**3. अमेरिकी टैरिफ अभियान और उसकी सीमाएँ**

**शुरुआत:**
ट्रंप के कार्यकाल (2017 से) में *अमेरिका का टैरिफ आक्रमण* आरंभ हुआ।

**अल्पकालिक उपलब्धियाँ:**

- अमेरिका का *चीन के साथ वस्तु व्यापार घाटा (goods trade deficit)* लगभग **30% घटा।**
- लेकिन यह *सच्चे पुन:औद्योगीकरण (re-industrialization)* का परिणाम नहीं था, बल्कि केवल *व्यापार स्थानांतरण (trade diversion)* था।

**व्यापार स्थानांतरण (Trade Diversion):**
आयात चीन से घटे, परंतु *मैक्सिको, वियतनाम और आसियान देशों* से बढ़े — इसे *"nearshoring"* और *"friend-shoring"* कहा गया।

**चीन की अनुकूलन रणनीति:**
चीन ने अपने *निर्यात बाज़ारों का विविधीकरण* किया और *मूल्य निर्धारण (pricing)* में समायोजन कर लिया, जिससे इस झटके का दीर्घकालिक प्रभाव बहुत कम हुआ।

---

**4. मानवीय भूगोल (Human Geography) पर प्रभाव**

**अमेरिका में प्रभाव:**

- चीन की *प्रतिशोधी टैरिफ नीति* ने *कृषि-आधारित वस्तुओं* को निशाना बनाया, जिससे *ट्रंप समर्थक ग्रामीण क्षेत्रों* को सबसे अधिक नुकसान हुआ।
- अमेरिकी सरकार ने *संघीय सब्सिडियों* के माध्यम से अस्थायी राहत दी।

**चीन में प्रभाव:**

- *ग्वांगडोंग* और *सूज़ोउ* जैसे *निर्यात प्रसंस्करण केंद्रों (export-processing hubs)* में अल्पकालिक नुकसान हुआ, विशेष रूप से *इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, स्मार्टफोन* जैसे क्षेत्रों में।
- परंतु *घरेलू प्रोत्साहन (stimulus)* और *"द्वि-संचरण रणनीति (dual circulation strategy)"* — जो *घरेलू और वैश्विक मांग* दोनों के बीच संतुलन रखती है — के कारण चीन की अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रही।

---

**5. व्यापक आर्थिक और रणनीतिक परिणाम**

**चीन का उदय:**

- एक *विनिर्माण भागीदार (manufacturing partner)* से *भूराजनीतिक आर्थिक महाशक्ति (geoeconomic superpower)* के रूप में उभरना।
- *मध्यवर्ती वस्तुओं (intermediate goods)*, *उच्च प्रौद्योगिकी (high-end tech)* और *महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals)* में प्रभुत्व स्थापित करना।
- *वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का केंद्रीय केंद्र (central hub)* बन जाना।

**अमेरिका की स्थिति:**

- अभी भी *दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार* है, लेकिन *चीनी औद्योगिक इनपुट्स* पर उसकी निर्भरता बढ़ गई है।

**प्रणालीगत बदलाव (Systemic Shift):**

व्यापार युद्ध ने शक्ति संतुलन को उलटकर रख दिया —

- *अमेरिका* अब "**अंतिम उपभोक्ता (consumer of last resort)**" है,
- जबकि *चीन* "**वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक उत्पादक (producer of first importance)**" बन चुका है।

---

**6. निष्कर्ष**

अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध ने *नए वैश्विक औद्योगिक युग* की नींव रख दी है —

- **अमेरिका** अब *उपभोग-प्रधान और राजनीतिक रूप से सीमित* अर्थव्यवस्था है,
- जबकि **चीन** ने स्वयं को *दुनिया के प्रमुख विनिर्माण केंद्र* के रूप में *स्थापित और स्थायी* कर लिया है,
  जहाँ से वह *तकनीकी और आपूर्ति श्रृंखला नियंत्रण* के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में प्रभाव डाल रहा है।

**HOW TO USE IT**

**अमेरिका–चीन व्यापार युद्ध**, चीन को कमजोर करने के बजाय, वैश्विक आर्थिक शक्ति में एक **मौलिक और संरचनात्मक बदलाव** को उजागर करता है।

चीन ने सफलतापूर्वक अपनी भूमिका *"सस्ते सामानों की दुनिया की फैक्ट्री"* से आगे बढ़ाकर *वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं (global supply chains)* का *अनिवार्य, उच्च-प्रौद्योगिकी केंद्र* बना ली है — जिससे उसे ऐसा *भू-आर्थिक (geoeconomic) प्रभाव* प्राप्त हुआ है जिसे *अल्पकालिक टैरिफ नीतियाँ* आसानी से नहीं तोड़ सकतीं।

---

**मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर–III (अर्थव्यवस्था)**

---

**1. उदारीकरण के प्रभाव, औद्योगिक नीति में परिवर्तन और औद्योगिक विकास पर प्रभाव**

**कैसे उपयोग करें:**

चीन का उदय *राज्य-नियंत्रित औद्योगिक नीति (state-led industrial policy)* और *वैश्विक अर्थव्यवस्था में रणनीतिक एकीकरण (strategic integration)* का एक सशक्त अध्ययन-प्रकरण (case study) है।

**मुख्य बिंदु:**

**(1) चीन की रणनीतिक औद्योगिक नीति:**

- चीन की *दीर्घकालिक, राज्य-निर्देशित औद्योगिक योजना* की तुलना अमेरिका की *अल्पकालिक, राजनीतिक रूप से प्रेरित नीति* से की जा सकती है।
- चीन ने *मूल्य श्रृंखला में ऊपर जाने* पर ध्यान केंद्रित किया — *असेंबली लाइन उत्पादन* से आगे बढ़कर *मध्यवर्ती वस्तुओं (intermediate goods)*, *उच्च प्रौद्योगिकी (high-end technology)* और *महत्वपूर्ण खनिजों (critical minerals)* के क्षेत्र में महारत हासिल की।
- यह किसी भी देश की औद्योगिक रणनीति के लिए एक *महत्वपूर्ण सबक* है।

**(2) संरक्षणवाद की सीमाएँ (Limits of Protectionism):**

- अमेरिका की *टैरिफ नीति* ने *पुनःऔद्योगीकरण (re-industrialization)* का लक्ष्य हासिल नहीं किया।
- परिणामस्वरूप *व्यापार सृजन (trade creation)* के बजाय *व्यापार स्थानांतरण (trade diversion)* हुआ — अर्थात्, आयात चीन से घटकर *वियतनाम, मैक्सिको* जैसे देशों की ओर शिफ्ट हुए।

- यह दर्शाता है कि *अत्यधिक जुड़ी हुई वैश्विक अर्थव्यवस्था (interconnected global economy)* में संरक्षणवाद की अपनी सीमाएँ हैं।

**(3) "चाइना + 1" रणनीति:**

- "नियरशोरिंग" और "फ्रेंड-शोरिंग" की यह प्रवृत्ति *भारत* के लिए एक *महान अवसर* है।
- भारत स्वयं को *विश्वसनीय वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र* के रूप में प्रस्तुत कर सकता है।
- यही विचार भारत की *उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (Production Linked Incentive – PLI)* का मूल आधार है।

**संभावित प्रश्न:**

"वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में चीन के उदय से भारत के औद्योगिक विकास के लिए कौन से सबक मिलते हैं?" चर्चा कीजिए।

---

**2. भारतीय अर्थव्यवस्था — योजना, संसाधनों के संचलन, विकास और रोजगार से संबंधित मुद्दे**

**कैसे उपयोग करें:**

वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्संरेखण (realignment) *भारत की आर्थिक योजना* को प्रभावित करने वाला *महत्वपूर्ण बाहरी कारक* है।

**मुख्य बिंदु:**

- भारत के लिए अवसर यह है कि वह इस *वैश्विक बदलाव का लाभ उठाकर* अपनी *विनिर्माण क्षमता* बढ़ाए।
- *आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat)* और *Ease of Doing Business* सुधार इसी दिशा में केंद्रित हैं।
- यह नीतियाँ उन आपूर्ति श्रृंखलाओं को आकर्षित करने पर केंद्रित हैं जो चीन से बाहर निकल रही हैं।

---

**मुख्य प्रासंगिकता: जीएस पेपर–II (अंतरराष्ट्रीय संबंध)**

---

**1. द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह एवं समझौते जो भारत को प्रभावित करते हैं**

**कैसे उपयोग करें:**

अमेरिका–चीन प्रतिद्वंद्विता 21वीं सदी की *निर्धारक भू-राजनीतिक पृष्ठभूमि* बन चुकी है।

**मुख्य बिंदु:**

**(1) भारत की रणनीतिक दुविधा और अवसर:**

- भारत के सामने एक जटिल स्थिति है — *चीन के साथ गहरा व्यापारिक संबंध* है,

लेकिन *अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी* भी।

- भारत को *आर्थिक व्यावहारिकता* और *रणनीतिक सुरक्षा* के बीच *संतुलन बनाकर चलना* होगा।

**(2) भू-अर्थशास्त्र बनाम भू-राजनीति (Geoeconomics over Geopolitics):**

- यह लेख दिखाता है कि *आर्थिक शक्ति* (आपूर्ति श्रृंखला पर नियंत्रण) भी *सैन्य शक्ति* जितनी प्रभावी है।
- चीन की *भू-आर्थिक ताकत* ने उसे *भू-राजनीतिक दबावों* के बावजूद स्थिर बनाए रखा है।
- यह भारत की *विदेश नीति* के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सबक है — कि *आर्थिक आत्मनिर्भरता और वैश्विक मूल्य श्रृंखला में एकीकृत उपस्थिति* ही दीर्घकालिक रणनीतिक शक्ति की कुंजी है।

## शांति और सतत सुरक्षा बोर्ड की आवश्यकता का मामला

✍️ **लेखिका:** निरुपमा राव — भारत की पूर्व विदेश सचिव

---

**1. संदर्भ और पृष्ठभूमि**

**अवसर:**

यह लेख उस समय लिखा गया जब संयुक्त राष्ट्र (UN) अपनी **80वीं वर्षगांठ** की ओर बढ़ रहा था।

**मुख्य समस्या:**

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) का उद्देश्य था — *विनाशकारी युद्धों को रोकना,* लेकिन आज यह **संघर्षों को रोकने के बजाय केवल उन पर प्रतिक्रिया देती है।**

अक्सर या तो बहुत देर से सक्रिय होती है या बहुत जल्दी पीछे हट जाती है, जिससे हिंसा के शांत होने के बाद **स्थायी शांति बनाए रखना कठिन हो जाता है।**

**मुख्य तर्क:**

वर्तमान संयुक्त राष्ट्र ढाँचे — विशेष रूप से सुरक्षा परिषद — में *सततता (continuity)*, *गति (momentum)* और *राजनीतिक जुड़ाव (political engagement)* की कमी है, खासकर जब तत्काल संकट समाप्त हो जाते हैं।

---

**2. समस्या का निदान: वर्तमान प्रणाली में क्या गलत है?**

**A. संरचनात्मक समस्याएँ**

- **UNSC की बनावट:** यह *युद्ध रोकने* के लिए उपयुक्त है, *दीर्घकालिक शांति निर्माण* के लिए नहीं।

- **शांतिरक्षा मिशन (Peacekeeping Missions):** ये परिस्थितियों को स्थिर तो करते हैं, लेकिन *राजनीतिक रणनीति और संक्रमण योजना* की कमी होती है।
- **शांति निर्माण आयोग (Peacebuilding Commission):** उपयोगी संस्था है, परंतु *राजनीतिक अधिकार और पहल (initiative)* की कमी है।

**परिणाम:**

जब हिंसा रुकती है, तो UN "भूल जाता है" और शांति की गति खो देता है।

**B. राजनीतिक विभाजन**

- समस्या केवल राजनीतिक नहीं, *संस्थागत (institutional)* भी है।
- UN के पास कोई *स्थायी निकाय* नहीं है जो *संघर्षोत्तर (post-conflict)* चरणों में राजनीतिक मार्गदर्शन जारी रख सके।
- सुधार की प्रक्रिया अत्यधिक धीमी और अत्यधिक महत्वाकांक्षी है — *क्रमिक विकास (evolution)* के बजाय *पुनर्लेखन (rewriting)* पर केंद्रित।

---

**3. प्रस्तावित समाधान: "शांति और सतत सुरक्षा बोर्ड" (Board of Peace and Sustainable Security)**

**A. उद्देश्य और जनादेश (Mandate):**

- संघर्ष प्रतिक्रिया (conflict response) और स्थायी शांति (sustainable peace) के बीच की *संस्थागत खाई (institutional gap)* को भरना।
- यह UNSC को चुनौती नहीं देगा, न ही राष्ट्रीय संप्रभुता में हस्तक्षेप करेगा।
- इसका क्षेत्र *संघर्ष के दौरान और उसके बाद* संरचित राजनीतिक जुड़ाव प्रदान करना होगा।

**B. उपकरण और दृष्टिकोण:**

- *सैन्य कार्रवाई नहीं*, बल्कि *राजनीतिक सहयोग (political accompaniment)* पर ध्यान।
- *संवाद, क्षेत्रीय कूटनीति, और संस्थान निर्माण* को सुदृढ़ करना।
- यह *UN महासचिव* और *शांति निर्माण आयोग (PBC)* के साथ समन्वय में कार्य करेगा।

**C. भूमिका और कार्य:**

- PBC की *समन्वयकारी भूमिका* को समाहित कर उसे मजबूत करेगा।
- *शांतिरक्षा और शांति निर्माण* दोनों के बीच सततता बनाए रखेगा।

- UNSC या महासचिव (UN Charter के अनुच्छेद 99) की शक्तियों का दोहराव नहीं करेगा।

---

**4. संस्थागत ढाँचा और प्रतिनिधित्व**

**A. संरचना:**

- *घूर्णन सदस्यता प्रणाली (Rotating membership)* — कोई स्थायी सदस्य नहीं।
- *क्षेत्रीय संतुलन* — अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरिबियन और पश्चिम एशिया का प्रतिनिधित्व।
- वैश्विक शक्ति संतुलन को प्रतिबिंबित करते हुए भी *समावेशी (inclusive)* रहेगा।

**B. एजेंडा:**

- *भू-राजनीतिक हितों* के बजाय *शांति निर्माण प्राथमिकताओं* से निर्देशित होगा।
- *क्षेत्रीय संगठनों* (जैसे अफ्रीकी संघ, आसियान, OAS) के साथ समन्वय करेगा।
- *तदर्थ संकट प्रतिक्रिया* के बजाय *निरंतरता और नवीनीकरण* पर बल देगा।

---

**5. प्रस्तावित बोर्ड के लाभ**

**A. सतत शांति प्रयास (Sustained Peace Efforts):**

- संघर्ष से शांति तक राजनीतिक जुड़ाव की निरंतरता बनाए रखेगा।
- शांति प्रयासों को *शासन (governance)* और *विकास (development)* से जोड़ेगा।

**B. निवारक सुरक्षा (Preventive Security):**

- *प्रतिक्रियात्मक संकट प्रबंधन* से आगे बढ़कर *निवारक सुरक्षा दृष्टिकोण* को अपनाएगा।
- *सैन्यीकरण* से बचते हुए *राष्ट्रीय नेतृत्व वाली शांति प्रक्रियाओं* को प्राथमिकता देगा।

**C. संस्थागत स्थिरता (Institutional Stability):**

- UN प्रणाली में *संस्थागत स्मृति (institutional memory)* विकसित करेगा।
- *लंबे मिशनों में थकान और भटकाव (drift and fatigue)* से बचाएगा।

**D. राजनीतिक संतुलन (Political Balance):**

- *संप्रभुता की रक्षा* करते हुए UN को एक *स्थायी, समन्वयकारी भूमिका* देगा।

MENTORA IAS "YOUR SUCCESS, OUR COMMITMENT"

- *संघर्षोत्तर संक्रमण (post-conflict transition)* प्रबंधन के लिए एक अनुशासित निकाय प्रदान करेगा।

---

**6. कार्यशैली और दृष्टिकोण**

- यह *बहस का मंच* नहीं होगा, बल्कि *कार्यकारी संस्था (working institution)* होगी।
- *जहाँ अन्य पीछे हटते हैं, वहाँ यह सक्रिय रहेगा।*
- *सततता और अनुकूलनशीलता (continuity and adaptation)* के माध्यम से कार्य करेगा।
- जवाबदेही सुनिश्चित करेगा, पर टकराव से बचेगा।
- राज्यों को यह भरोसा देगा कि *शांति प्रक्रिया अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी।*

---

**7. कार्यान्वयन रणनीति**

- इसे *संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 22* के तहत स्थापित किया जा सकता है, जो महासभा (UNGA) को *सहायक निकाय (subsidiary body)* बनाने की अनुमति देता है।
- ऐसा करने का *पूर्व उदाहरण* पहले से मौजूद है।

---

**8. दृष्टि और व्यापक संदेश**

- संयुक्त राष्ट्र को **स्वयं को पुनर्लेखन (rewrite)** नहीं, बल्कि **विकसित (evolve)** करने की आवश्यकता है।
- संस्थाएँ *संकट के क्षणों* के बजाय *सततता और निरंतरता* के लिए बननी चाहिए।
- सुधार का उद्देश्य होना चाहिए — *कूटनीति, राजनीतिक जुड़ाव और सतत शांति की बहाली।*

**"शांति और सतत सुरक्षा बोर्ड"** का लक्ष्य होगा:

- UN की सबसे कमजोर कड़ी — *राजनीतिक सततता की कमी* — को संबोधित करना।
- *राजनीतिक सहयोग (political accompaniment)* को UN प्रणाली में एकीकृत करना।
- *युद्ध रोकथाम (war prevention)* और *शांति स्थायित्व (peace sustainability)* के बीच पुल बनना।

---

**9. निष्कर्ष**

लेखिका का आह्वान है कि **सुधार केवल प्रतीकात्मक या भाषणात्मक नहीं, बल्कि सार्थक और व्यावहारिक होना चाहिए।**

सुधार का अर्थ है — *कूटनीति और निरंतरता की पुनर्स्थापना*, न कि केवल *शक्ति पुनर्वितरण (power redistribution)*।

यह नया बोर्ड शांति को *संस्थागत रूप* देगा, जिससे संयुक्त राष्ट्र *संघर्ष संक्रमणों का प्रभावी प्रबंधन* कर सकेगा।

**"संयुक्त राष्ट्र को ऐसा नया संस्थान बनाना होगा, जो युद्ध के बाद भी शांति को बनाए रख सके।"**

— *निरुपमा राव*

**HOW TO USE IT**

प्रस्ताव वैश्विक शासन (Global Governance) में एक गंभीर **संरचनात्मक कमी** को उजागर करता है — यानी एक ऐसी स्थायी और निरंतर *राजनीतिक प्रणाली* का अभाव जो **संघर्ष समाप्ति से लेकर स्थायी शांति** (Sustainable Peace) तक के संक्रमण को सुगम बना सके। यह "भूले हुए चरण" (Forgotten Phase) — अर्थात संघर्ष के बाद की शांति स्थापना — को संबोधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (UN) में **व्यावहारिक और क्रमिक सुधारों (Pragmatic, Incremental Reform)** की वकालत करता है, जो वर्तमान में **प्रतिक्रियात्मक और अक्सर गतिरोधग्रस्त सुरक्षा परिषद (UNSC)** से परे जाती है।

---

✳️ **मुख्य प्रासंगिकता:**

**GS पेपर II (अंतरराष्ट्रीय संबंध – International Relations)**

**1. महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, एजेंसियां और मंच – उनकी संरचना और अधिदेश (Mandate)**

**कैसे उपयोग करें:**

पूरा लेख संयुक्त राष्ट्र प्रणाली की आलोचना और सुधार प्रस्ताव के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

**मुख्य बिंदु:**

- **UNSC की सीमाओं का विश्लेषण:**
  लेखक के अनुसार, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मौजूदा संरचना *संकट प्रबंधन और युद्ध रोकने* के लिए तो बनी है, लेकिन *संघर्ष के बाद की दीर्घकालिक शांति स्थापना और संस्थागत निर्माण* जैसे राजनीतिक कार्यों के लिए उपयुक्त नहीं है।
  पाँच स्थायी सदस्यों (P5) की **वीटो शक्ति** अक्सर निर्णय प्रक्रिया को पंगु बना देती है।
- **"संस्थागत अंतराल" (Institutional Gap):**
  जब किसी क्षेत्र में *शांति मिशन* स्थिरता लाता है या संघर्ष समाप्त होता है, तो एक **राजनीतिक रिक्तता (Political Vacuum)** पैदा हो जाती है।
  UN प्रणाली में कोई ऐसा स्थायी निकाय नहीं है जो *युद्ध से शांति तक के*

*संक्रमण* का मार्गदर्शन कर सके। परिणामस्वरूप कई बार संघर्ष फिर भड़क उठते हैं।

- **व्यावहारिक सुधार का मॉडल:**
  यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की *यथार्थवादी सोच* का उदाहरण है।
  सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता या वीटो शक्ति बदलने जैसे कठिन सुधारों की बजाय, यह सुझाव देता है कि **UN महासभा (UNGA)** के तहत (UN चार्टर के *अनुच्छेद 22* के माध्यम से) एक **नया, पूरक निकाय** बनाया जाए।
  यह "Work-around Reform" का व्यावहारिक तरीका है।

**संभावित प्रश्न:**

"संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) 1945 की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करती है, न कि 21वीं सदी की।" इस कथन की आलोचनात्मक परीक्षा करें और सुधार के उपाय सुझाएँ।

---

**2. भारत से संबंधित द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक संगठन एवं समझौते**

**कैसे उपयोग करें:**

भारत का इस सुधार में प्रत्यक्ष हित है क्योंकि भारत UN सुधार और शांति अभियानों (Peacekeeping) में अग्रणी भूमिका निभाता है।

**मुख्य बिंदु:**

- **भारत की भूमिका और हित:**
  भारत संयुक्त राष्ट्र सुधार का दृढ़ समर्थक है और UN शांति अभियानों में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
  अतः भारत ऐसे किसी भी संस्थागत नवाचार का समर्थन करेगा जो **बहुपक्षवाद (Multilateralism)** को अधिक *प्रतिनिधिक, प्रभावी और उत्तरदायी* बनाए।
- **सॉफ्ट पावर और वैश्विक नेतृत्व:**
  ऐसे रचनात्मक और व्यावहारिक प्रस्तावों का समर्थन भारत को एक **उत्तरदायी और समाधान-केंद्रित वैश्विक शक्ति** के रूप में प्रस्तुत करता है, जो केवल आलोचना नहीं बल्कि *संरचनात्मक समाधान* देती है।

---

⚖️ **द्वितीयक प्रासंगिकता:**

**GS पेपर IV (नीति और सुशासन – Ethics & Governance)**

- **अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता:**
  यह प्रस्ताव *जिम्मेदारी (Responsibility)* और *एकजुटता (Solidarity)* जैसे नैतिक सिद्धांतों पर आधारित है।

यह मानता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नैतिक जिम्मेदारी है कि वह **संघर्ष समाप्त होने के बाद देशों को न छोड़े**, बल्कि यह सुनिश्चित करे कि शांति केवल "थोपी हुई" (Enforced) नहीं, बल्कि "स्थायी" (Sustained) हो।

- **वैश्विक स्तर पर सुशासन:**
  प्रस्तावित बोर्ड को एक ऐसे निकाय के रूप में देखा जा सकता है जो **निरंतरता (Continuity)**, **समन्वय (Coordination)** और **उत्तरदायित्व (Accountability)** सुनिश्चित करेगा — जो सुशासन के मूल सिद्धांत हैं, अब इन्हें *वैश्विक स्तर* पर लागू किया गया है।

---

🔷 **सार:**

यह प्रस्ताव अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार का एक **व्यावहारिक और नैतिक दृष्टिकोण** प्रस्तुत करता है —
संघर्ष के बाद की राजनीति, शांति निर्माण और सतत विकास को जोड़ते हुए एक ऐसी व्यवस्था बनाने की दिशा में जो दुनिया को केवल *युद्ध से बचाए नहीं*, बल्कि *शांति को बनाए रखे*।

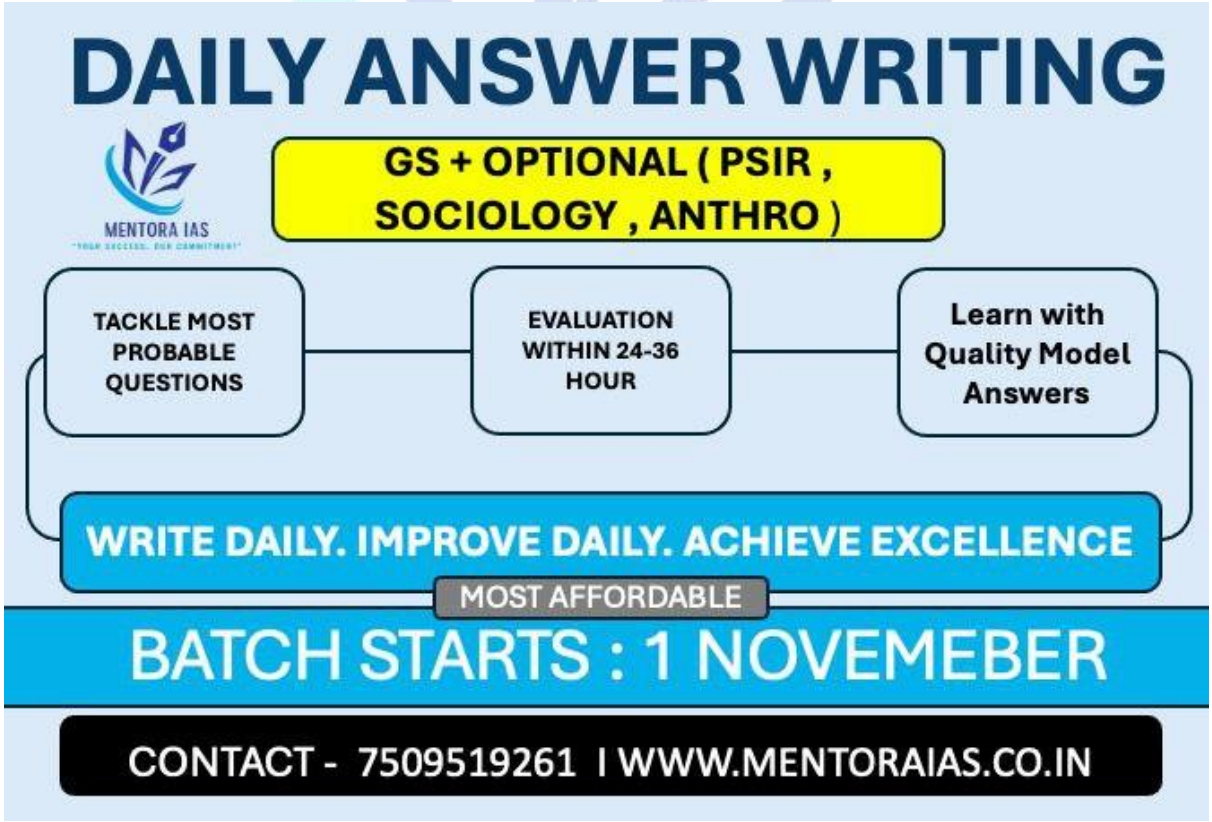


IN HINDI MEDIUM ALSO